[Shri Nitin Jairam Gadkari]
giving this money to us? It is because our credibility is higher. Our rating is AAA. We have to take that money from that toll and we have to construct the roads. We don't have any other option. It is difficult to abolish.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Prabhakar Reddy Vemireddy.

SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY: Sir, I request the hon. Minister to tell whether the GST, which they are charging on toll can now, be reduced to the service charge which was previously 15 per cent, which now they have made it 18 per cent. This tag is actually a new thing which we are introducing in the country. So, should we put it to the GST Council and reduce the tax?

MR. CHAIRMAN: Right. It is a separate question. But, anyhow, if the hon. Minister wants to respond, he can.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: This has been referred to the Finance Ministry. They are probably going to resolve this issue. But, now, before GST, there were also some taxes applied. That is the reason why the Finance Ministry is arguing that we were paying taxes even before. Still, we are discussing the issue with the Finance Ministry. We will find out a way.

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 197. Shri Ravi Prakash Verma. We are admitting 15 questions but we are not reaching up to 10. So, I have to see that.

Contamination of ground water due to soak pits in toilets

*197.SHRI RAVI PRAKASH VERMA: Will the Minister of DRINKING WATER AND SANITATION be pleased to state:

(a) the details of soak pits being used in toilets under Swachh Bharat Mission (SBM) in the country along with the cost thereof;

(b) whether Government is aware that ground water is being contaminated due to use of soak pits in toilets which would lead to non-potable drinking water;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the details of corrective measures proposed in this regard?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT; THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ; AND THE MINISTER OF MINES (SHRI NARENDRA SINGH TOMAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Under Swachh Bharat Mission (Gramin), the States/UTs are free to choose an appropriate toilet technology best suited to them. However, Ministry of Drinking Water and Sanitation promotes twin-pit technology for most parts of the country. Twin-pit toilet is a 'low-cost' toilet having two honeycomb structured pits (the bottom of which is not plastered) connected to a junction chamber at one end. The main components of such toilet are - the two pits, water-seal, pan, squatting platform, junction chamber and a superstructure. Under this system, two pits are used alternatively. Capacity of each pit is normally sufficient for 3 years and after filling up of first pit, it is blocked at the junction chamber and second pit is put in operation. After 2 years of blocking of the first pit, its contents degrade completely and turn to solid, odourless, pathogen free manure - which can be emptied by hand by householder themselves and used for agricultural or horticultural purposes. Size of the pits are normally about 1 meter of diameter and depth (for a household having 5 persons using daily) and the gap between two pits is also about 1 meter. Estimated cost of such toilet is Rs. 12,000/-.

(b) to (d) In order to avoid contamination of water, Ministry of Drinking Water and Sanitation has issued advisory to the States/UTs to keep distance of water sources around 10-15 meters from the twin pits toilets which is a safe distance with regard to contamination of water source. Further, to avoid ground water contamination in high water table and water-logged areas, States have been advised to construct raised leach pit toilets or to use other safe technologies.

श्री रवि प्रकाश वर्माः सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैंने इसका ज़िक्र एक दिन पहले भी किया था। यह जो "स्वच्छ भारत योजना" है, यह भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर प्रधान मंत्री जी खुद हैं और करोड़ों रुपया इस पर खर्च किया जा रहा है।

MR. CHAIRMAN: Question, please.

श्री रवि प्रकाश वर्माः सर, मैं उसी पर आ गया।

श्री सभापतिः हां, आ जाइए।

श्री रवि प्रकाश वर्माः सर, बहुत बड़ी तादाद में शौच pits बने हैं। सर, अखबारों में रिपोर्ट्स आई हैं कि Strata 2 तक contaminate हो गया है। जो fecal matter है, हैजा है, cholera का bacteria है, diptheria का है, hepatitis का है, colitis का है और heavy metals बहुत सारा है। यह strata 2 तक पहुंच रहा है।

श्री सभापतिः श्री रवि प्रकाश वर्मा जी, आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि जवाब दे रहे हैं। कृपया सवाल पूछिए।

श्री रवि प्रकाश वर्माः सभापति जी, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अन्य सुरक्षित टेक्नीक्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अतः मेरा सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर ground water contaminate हो रहा है, तो यह crime है। आप गंदा पानी नहीं डाल सकते। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः मंत्री जी, ग्राउंड वाटर के बारे में बताएं। प्लीज़... प्लीज़...

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति जी, सदस्य की चिन्ता वाजिब है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदस्य को बोलना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर अभी तक इस प्रकार की कोई भी शिकायत मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है। जो twin-pit शौचालय की व्यवस्था है, यह हमारे देश में परम्परागत है। मंत्रालय में इस प्रकार की तकनीक को चयन करने के लिए डा. माशेलकर जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। यह समिति लगातार बैठती, विचार करती है और अपनी recommendations देती है। अभी तक twin-pit शौचालय का अनुभव अच्छा रहा है, लेकिन राज्यों को यह सलाह दी गई है कि उसमें जो पथ्य और परहेज़ बरतना चाहिए, जैसे कि उसकी जो गहराई है, वह एक मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहां पेयजल स्रोत हैं, उनसे 10 मीटर की दूरी पर इस प्रकार के शौचालय बनाने चाहिए। यह पद्धति एक प्रकार से success भी है। इसमें किसी प्रकार की दुर्गन्ध की गुंजाइश नहीं है। किसी प्रकार के मच्छरों के पैदा होने की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री सभापतिः वर्मा जी, कृपया second supplementary पूछिए।

श्री रवि प्रकाश वर्माः सभापति जी, मंत्री जी जो जानकारी बता रहे हैं, वह सब तो वे अपने जवाब में पहले ही लिखकर दे चुके हैं। मेरी चिन्ता यह है कि UNICEF ने बोला है कि बहुत बड़ी तादाद में जो बच्चे डायरिया के शिकार हो रहे हैं, वे wasting and stunting में जा रहे हैं। वे as human being survice नहीं कर पाएंगे। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप soak-pit की बजाय septic tank replace करने पर विचार कर रहे हैं?

श्री सभापतिः ऐसे सीधा प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि डायरिया से लाखों बच्चे मर रहे हैं। महोदय, यह बात सच है कि पिछली बार, वर्ष 1914-15 में UNDP की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें इस प्रकार की बात कही गई थी, लेकिन अभी जो हाल ही में उनकी रिपोर्ट आई है, उसमें भारत में "स्वच्छ भारत अभियान" के माध्यम से, जो स्वच्छता का प्रतिशत कभी 38 हुआ करता था, वह आज 89 प्रतिशत हो गया है। इसके कारण लगभग 3 लाख बच्चे मृत्यु से बच सके हैं। मैं इस बात से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं।

महोदय, जहां तक दूसरी बात है, यदि septic tank पर जाएं, तो इसके लिए राज्य इकाइयां पूरी तरह स्वतंत्र हैं। माशेलकर कमेटी से तकनीक एप्रूव कराके, राज्यों को सलाह दी गई है और वे उस रास्ते पर जा सकते हैं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: माननीय सभापति जी, I want a debate on this issue.

श्री सभापति: अभी डिबेट नहीं होगी। डिबेट को रिबेट दिया है। आगे रिबेट है।

MS. DOLA SEN: Sir, will the Minister of Drinking Water and Sanitation be pleased to state whether the Government would consider the construction of septic tanks instead of soak pits, as these are likely a better sanitary solution to waste management? If the Government has explored the use of septic tanks over the soak pits being used, what are the costs and benefits thereof?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय सभापति जी, मैंने पूर्व में ही कहा है कि septic tank पद्धति, twin-pit पद्धति या अन्य आठ और पद्धतियां हैं, जिन्हें माशेलकर कमेटी ने approve किया है। राज्य उन्हें अपनाने और आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं।

श्रीमती कहकशां परवीन: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि ऐसे शौचालय की लागत 12,000/- रुपए होती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि आज की महंगाई को देखते हुए क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने का विचार रखती है?

†**محترمہ کہکشاں پروین:** سبھاپتی مہودے، میں آپ کے مادھیم سے مانئے منتری جی کے دھیان میں لانا چاہتی ہوں، کیوں کہ انہوں نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ ایسے شوچالیہ کی لاگت بارہ ہزار روپے ہوتی ہے۔ میں مانئے منتری سے جاننا چاہتی ہوں کہ آج کی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے کیا سرکار اس رقم کو بڑھانے کا وچار رکھتی ہے؟

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय सभापति महोदय, "स्वच्छ भारत अभियान" एक सामाजिक अभियान है। यह प्रोत्साहित हो और आगे बढ़े, इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से यह राशि दी जाती है। शौचालय के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार धनराशि उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि यह जो राशि उपलब्ध है, यह एक प्रकार से "प्रोत्साहन राशि" है और इससे लोग प्रोत्साहित हों और इस दिशा में आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि इसका परिणाम भी काफी अच्छा रहा है। अभी देश भर में 421 जिले, 4,129 ब्लॉक्स, 1 लाख 80 हजार 945 ग्राम पंचायतें, 4 लाख 9 हजार 442 गाँव और 19 राज्य अपने आपको ओडीएफ घोषित कर चुके हैं। यह अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।

श्री सभापति: आज विश्व बैंक की रिपोर्ट भी आई है।

श्री रेवती रमन सिंह: चेयरमैन साहब, आपको बहुत-बहुत थैंक यू। मैं आपके द्वारा मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि आपकी यह रिपोर्ट है, अगर आप इस रिपोर्ट की जांच करवा लेंगे, तो पाएंगे कि यह रिपोर्ट सही नहीं है। जो जिले, गाँव या शहर ओडीएफ डिक्लेयर किए गए हैं, उनके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ...(व्यवधान)...

† Transliteration in Urdu script.

श्री सभापतिः आप अभी ऐसा मत कहिए, आप सवाल पूछिए।

श्री रेवती रमन सिंहः मैं सवाल पूछ रहा हूं।

श्री सभापतिः दावे के साथ कहने का कोई जवाब नहीं है। आप अनुभवी हैं, इसलिए सवाल पूछिए।

श्री रेवती रमन सिंहः सभापति जी, 12 हज़ार रुपये में कोई शौचालय नहीं बन सकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप उस राशि को बढ़ाकर 25 हज़ार रुपये करने का काम करेंगे? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति जी, मैंने पूर्व में ही बहिन जी के उत्तर में यह बताया था कि ये 12 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य काफी सीनियर हैं, उनका राजनीतिक अनुभव भी काफी है, अगर उनके पास इस प्रकार की कोई जानकारी है कि यह आंकड़ा गलत है, तो वे इस जानकारी को मेरे संज्ञान में ला सकते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूं कि ओडीएफ की जो पद्धति है, उसमें इसकी काफी exercise होती है। पहले गाँव, समुदाय इकट्ठा होकर अपने आपको ओडीएफ करने की ओर प्रवृत्त करता है, उसके बाद, जब वह गाँव ओडीएफ हो जाता है, तो ग्राम सभा की बैठक बुलाकर, स्वयं उस गांव को ओडीएफ करने की घोषणा होती है, फिर जिला स्तर से, राज्य स्तर से उसकी दो बार जांच की जाती है और हम केंद्र से भी उसका third party verification कराते हैं। इतनी प्रक्रिया से गुज़रने के बाद किसी गाँव या जिले को ओडीएफ घोषित किया जाता है।

Blacklisting of policy for defence procurement

*198. SHRI AKHILESH PRASAD SINGH: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether any new blacklisting policy for defence procurement has been announced recently, if so, the salient features thereof;

(b) the details of companies and arms contractors blacklisted by Government for wrong doing / misconduct in defence deals in the recent past; .

(c) whether Government proposes to review all the blacklisted firms, in the light of new policy initiatives, if so, the details thereof; and

(d) other steps taken to ensure transparency and accountability in defence procurements?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.